2108

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
506/2007	01-12-2007	07/6/2023

उनवान

01. मोहरसिंह पुत्र श्री श्योनारायण उर्फ वदलू जाति गुर्जर निवासी गहनकर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

----:: वादी

(व ना म)

01. प्रहलाद पुत्र मंगलिया उम्र करीव 70 साल (मृतक)
    1/1 – रामकुमार
    1/2 – ईश्वर
    1/3 – उदमीराम पुत्रान स्व. श्री प्रहलाद
    1/4 – छोटा
    1/5 – इमरती
    1/6 – श्रवण
    1/7 – संतो पुत्रीयान स्व0 श्री प्रहलाद
    1/8 – पार्वती पत्नी स्व. श्री प्रहलाद जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम गहनकर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
02. मातादीन पुत्र मंगलिया जाति गुर्जरान निवासी गहनकर तहसील तिजारा जिला अलवर (मृतक)
    2/1 – गिर्राज
    2/2 – दयाराम
    2/3 – बनवारीलाल पुत्रान स्व. श्री मातादीन जातियान गुर्जर निवासीगण ग्राम गहनकर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
03. मुसम्मात ज्ञानो बेवा बदलू पुत्र बल्ला (मृतक) वारिसान पूर्व में ही रिकार्ड पर है।
04. सरसवती पुत्री बदलू पुत्र बल्ला जाति गुर्जरान निवासी गहनकर हाल निवासी माजरी गुर्जर तहसील तिजारा
05. जौहरीलाल
06. औमप्रकार
07. मदनलाल पुत्रान हरिया (मृतक)
    7/1 – विक्रम
    7/2 – हनुमान पुत्रान स्व. श्री मदनलाल
    7/3 – सन्तरा पत्नी स्व. श्री मदनलाल जातियान गुर्जर निवासीगण ग्राम गहनकर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

10. शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी लि बैंक शाखा भगतसिंह सर्किल अलवर जिला अलवर (राज0)

11. शाखा प्रबन्धक राज. ग्रामीण बैंक शाखा भिण्डूसी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

12. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा शाहबाद तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

----:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: **निर्णय** ::-

वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 593 मिन रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 34 मिन रकबा 12 बिस्वा, 35 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 670 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 645 रकबा 12 बिस्वा, 577 मिन रकबा 19 बिस्वा, 577 मिन रकबा 18 बिस्वा वाके ग्राम गहनकर तह0 तिजारा जिला अलवर की आराजी है, जो इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। साबिक आराजी खसरा नम्बर 593 मिन रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 983 व साबिक आराजी 34 मिन रकबा 12 बिस्वा, 35 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 50 रकबा 0.73 है0 व साबिक आराजी खसरा नम्बर 670 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1141 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 645 रकबा 12 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 1033 रकबा 11 बिस्वा व साबिक आराजी खसरा नम्बर 577 मिन रकबा 19 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 99 रकबा 19 बिस्वा, साबिक आराजी खसरा नम्बर 577 मिन रकबा 18 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 960 रकबा 0.23 है0 भू-प्रबन्धक विभाग द्वारा नये नम्बर पैमुद किये गये है जो आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 9 की शामलात की पैत्रिक दादालाई आराजी है जो आराजीयात वादी के दादा बीरबल से वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 9 को विरासत में प्राप्त हुई है। साबिक आराजी खसरा नम्बर 593 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा आराजी हरिया पुत्र बीरबल व श्योनारायण उर्फ बदलू के हिस्से में आयी है। जिसका हाल खसरा नम्बर 983 रकबा 0.23 है0 जो कि 1/2 भाग वादी का व 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 को है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हाल खसरा नम्बर 983 से कोई सरोकार व संबंध नहीं है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का गतल इन्द्राज चला आ रहा है। साबिक आराजी खसरा नम्बर 34 मिन रकबा 12 बिस्वा, 35 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 50 रकवा 0.73 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का वादी के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में 1/2 भाग में अंकन हो रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की उक्त आराजी गैरकाबिज गैरवास्ता आराजी है तथा साबिक आराजी खसरा नम्बर 670 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा व 645 रकबा 12 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर क्रमश: 1141 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा व 1033 रकबा 11 बिस्वा में प्रतिवादी तो 1/2 भाग में सही अंकन हो रहा है लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम से गलत रूप में भू-प्रबन्धक विभाग से अंकन किया गया है तथा साकिब राजस्व रिकार्ड में श्योनारायण उर्फ बदलू पुत्र बीरबल के स्थान पर बीरबल पुत्र बल्ला के नाम का अंकन हो गया जो अंकन राजस्व विभाग की गलती के कारण हुआ है। साबिक आराजी खसरा नम्बर 577मिन/0.37 का हाल खसरा नम्बर 960/0.23व 959/0.24 में प्रतिवादी संख्या 5 लगायत

... पर वादी के पिता श्योनारायण उर्फ बदलू व 1/2 भाग पर प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 संवत् 2013 से पूर्व ही काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी से पहले उनके बुर्जुगान समभाग में कास्त करते चले रहे हैव। वादी के पिता का नाम श्योनारायण उर्फ बदलू संवत् 2013–2017, 2021 में किसी खसरा नम्बर में दर्ज कर दिया और किसी नम्बर में वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में हजफ कर दिया जबकि वादी 1/2 भाग में उक्त आराजीयात मे काबिज होकर बतौर कास्तकार खातेदार चला आ रहा है तथा मौके पर वास्तविक कब्जा है जो इन्द्राज गलत अंकन राजस्व रिकार्ड में हो रहा है वह भी वादी के हकूकों के विरूद्व बातिल एवं बेअसर है नाकाबिले पाबन्दी है जो कलमजन किये जाने योग्य है। मौके पर मिन वादी बदस्तूर काबिज एवं दाखिल होकर काश्त करता चला हा रहा है तथा विवादित आराजी वादी की दादालाई पैत्रिक सम्पत्ति है। शामलात में वादी अपने हिस्से पर काबिज काश्त है श्योनारायण उर्फ बदलू पुत्र बीरबल के 1/2 भाग का वादी अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। तथा जो इन्द्राज वादी के हिस्सा तक प्रतिवादीगण के नाम से आ रहा है वह कलमजन किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण लडाका मुठमर्द व चाल बाज आदमी है जो कानून कायदे की कतई परवाह नहीं करते है जबकि वादी एवं उसका पिता अनपढ भोले व्यक्ति है, जिनको कानून की कोई जानकारी नहीं थी। उक्त गलत इन्द्राज की बाबत माह सितम्बर 07 में जब हल्का पटवारी के पास राजस्व रिकार्ड लेने के लिए वादी गया तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई। इसके पश्चात मिन वादी ने समस्त राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की और प्रतिवादीगण से दुरूस्त कराने के लिए कहां तो उन्होंने दुरूस्त कराने से साफ इंकार कर दिया और ऐलानिया तौर पर धमकीयां दी कि उक्त इन्द्राजात के आधार पर दीगर लोगों को रहन–बय से मुन्तकिल करेगें। यदि वाईक प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादो में कामयाव हो गये तो वादी रको अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति रूपयों में संभव नहीं होगी। वादी को अपने हकूकों से महरूम होना पडेगा। अन्त में निवेदन किया है कि डिकी इश्तकरारहक बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण पारित की जाकर साकिब आराजी खसरा नम्बर 593मिन/3–5 में 1 बीघा 5 बिस्वा कि जिसका हाल खसरा नम्वर 983 रकवा 0.23 है0 व साबिक आराजी खसरा नम्बर 34 मिन/0.12, 35 रकवा 2–6 कि जिसके हाल खसरा नम्बर 50 रकवा 0.73 है0 वाके ग्राम गहनकर तह0 तिजारा की आराजी जो गलत इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का आ रहा है उसे हजफ किया जावें तथा जो गतल इन्द्राज रिकार्ड में चला आ रहा है वह इन्द्राज वादी के हकूकों के विरूद्व बेअसर तथा नाकाबिले पाबन्दी है तथा वादी को खातेदार काश्तकार घोपित किया जावें। डिकी इश्तकरारहक पारित की जाकर साबिक आराजी खसरा नम्वर 670/1–1, 645/0–12 कि जिसके हाल खसरा नम्बर 1141/1–1 व 1033/0–11 वाके ग्राम गहनकर तहसील तिजारा में श्योनारायण उर्फ बदलू पुत्र बीरबल के स्थान पर बदलू पुत्र बल्ला का जो गलत इन्द्राज चला आ रहा है उसे दुरूस्त फरमाया जावें। तथा प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जावें तथा आराजी खसरा नम्बर 577मिन/0.19 व 577मिन/0.18 कि जिसके हाल खसरा नम्वर 960/0.23, 959/0.24 है0 वाके ग्राम गहनकर तह0 तिजारा में प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 का 1/2 भाग है जिसमें वादी का 1/2 भाग है अकेले प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 के साथ 1/2 भाग में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी

... है। शेष प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान रिकार्ड पर लिये गये। चूंकि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की मृत्यु से पूर्व ही एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी थी इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के वारिसान को तलब करना उचित प्रतीत नहीं होता है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र मोहरसिंह पुत्र श्री श्योनारायण उर्फ बदलू जाति गुर्जर उम्र करीब 62 साल निवासी ग्राम गहनकर तहसील तिजारा जिला अलवर, शपथ पत्र शीशराम पुत्र झम्मन जाति गुर्जर उम्र करीब 61 साल निवासी ग्राम गहनकर तहसील व जिला अलवर पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2063–2066 (प्रतिदर्श 1), मिलान क्षेत्रफल संवत् 2029 (प्रतिदर्श 2), नकल सेटलमेन्ट संवत् 2029 (प्रतिदर्श 3), जमाबन्दी संवत् 2013 (प्रतिदर्श 4), जमाबन्दी संवत् 2017 (प्रतिदर्श 6), जमाबन्दी संवत् 2021 (प्रतिदर्श 7) पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये है।

वादी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 593 मिन रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा व आराजी खसरा नम्बर 34मिन रकबा 0.12 व 35 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नम्बर 670 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 645 रकबा 12 बिस्वा, 577मिन रकबा 19 बिस्वा व 577 मिन रकबा 18 बिस्वा वाके ग्राम गहनकर तहसील तिजारा की आराजी है जिसके हाल खसरा नम्बरान निम्न प्रकार से है

983 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा	593 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा
984 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा	593 रकबा 2 बीघा, 594 रकबा 8 बिस्वा
50 रकबा 0.73 है0	34मिन रकबा 12 बिस्वा, 35 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा
1141 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा	670 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा
1033 रकबा 0.11 है0	645 रकबा 0.12 है0
959 रकबा 0.19 है0	577मिन रकबा 0.19 है0
960 रकबा 0.23 है0	577मिन रकबा 0.18 है0

साविक खसरा नम्बर 593 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा आराजी हरिया पुत्र बीरबल के हिस्से में आई। जिसमें 1/2 भाग वादी का व 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 का है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हाल खसरा नम्बर 983 से कोई सरोकार व संबंध नहीं है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का गलत इन्द्राज कर दिया गया व साबिक खसरा नम्बर 34 व 35 जिसका हाल खसरा नम्बर 50 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का वादी के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में अंकन हो रहा है जिसके स्थान पर वादी का 1/2 भाग व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9 का 1/2 भाग का अंकन हो रहा है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का उक्त आराजी से सरोकार व संबंध नहीं है। साबिक खसरा नम्बर 670 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, जिसका हाल खसरा नम्बर 1141 रकबा 1.04 है0 व साबिक खसरा नम्बर 645 रकबा 0.12 है0 जिसका हाल खसरा नम्बर 1033 में प्रतिवादी का 1/2 भाग में अकन सही रूप से हो रहा है लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नाम गलत रूप से श्योनारायण उर्फ बदलू पुत्र बीरबल के स्थान पर बीरबल पुत्र बल्ला गलत दर्ज कर दिया गया है। साबिक आराजी खसरा नम्बर 577 मिन रकबा 0.37 बिस्वा है, जिसका

पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद मुताबिक वाद की प्रार्थना के अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अवलोकन किया। वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वाके ग्राम गहनकर तहसील तिजारा जिला अलवर की आराजी हाल खसरा नम्बर 983 रकबा 0.32 है0, 50 रकबा 0.73 है0 से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 या प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के वारिसान का नाम हजफ कर 1/2 भाग पर वादी का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। हाल खसरा नम्बर 1141 रकबा 0.26 है0, 1033 रकबा 0.14 है0 से प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 का नाम हजफ कर 1/2 भाग पर वादी का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। हाल खसरा नम्बर 960 रकबा 0.23 है0, 959 रकबा 0.24 है0 से प्रतिवादीगण संख्या 5, 6 7 या 7 के वारिसान, 8 व 9 का नाम हजफ कर 1/2 भाग पर वादी का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। दौराने दावा राजस्व रिकार्ड में की गई तबदीली प्रारम्भ से ही शून्य है। बैंक लोन प्रतिवादीगण की अन्य आराजी पर स्थानान्तकरण किया जावें। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)